न्यायालयः—वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सन्न न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय—बैहर

CRR No.13/2018

<u>Filling No. CRR/492/2018</u> संस्थित दिनांक— 28.04.2018 <u>CNR-MP50050006422018</u>

पुनरीक्षणकर्ता

मोहनलाल जैन पिता स्वर्गीय कंवरलाल जैन उम्र 48 वर्ष निवासी-राजनांदगांव, शाखा मदन ज्वेलर्स भरवेली जिला बालाघाट – – -

/ / <u>विरुद</u>्ध / /

मध्यप्रदेश शासन द्वारा:— पुलिस थाना बिरसा तहसील बिरसा जिला बालाघाट ———— **गैरपुनरीक्षणकर्ता/शासन**

-श्री आर.आर. पटले अधिवक्ता वास्ते पुनरीक्षणकर्ता। श्री अभिजीत बापट, अपर लोक अभियोजक वास्ते गैरपुनरीक्षणकर्ता/शासन।

— / // आदेश / / / —

(आज दिनांक 08 मई 2018 को पारित)

- 1— पुनरीक्षणकर्ता ने यह पुनरीक्षण याचिका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2018 को पारित आक्षेपित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत है जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रस्तुत सुपुर्दनामा याचिका को निरस्त किया है।
- 2— विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष मामला संक्षेप में यह है कि पुनरीक्षणकर्ता का वाहन इनोवा क्रमांक एम.पी. 50 बी.सी. 1022 का चालक दिनांक 16.02.2018 को कैडाटोला चौक में एक्सीडेंट करके भाग गया था जिसे बाद में अभिरक्षा में लिया गया तथा उसके कब्जे में भारी मात्रा में सोने, चांदी सूटकेस एवं थेले में पाए गए जिसके संबंध में संतोषजनक उत्तर न दिए जाने से कुल सोने जैसे धातु के जेवरात 4.0276 कि.ग्रा., चांदी जैसे धातु के कुल मात्रा 102.904 कि.ग्रा.,

कीमती कुल रूपए 1,66,84,000 / —बरामद किया गया तथा आरोपी द्वारा तत्संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर उक्त जेवरात गवाहों के समक्ष जप्त कर जप्ती पंचनामा निर्मित किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध इस्तगासा क्रमांक 01 / 18 धारा 102 जा.फौ. का काटा गया।

3— विचारण के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सुपुर्दनामा याचिका प्रस्तुत की गई जो कि आयकर विभाग की जॉच रिपोर्ट अपूर्ण होने के कारण निरस्त की गई जिससे व्यथित होकर यह पुनरीक्षण याचिका इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि याचिकाकर्ता जप्तशुदा जेवरात का वैध स्वामी है तथा उसके द्वारा सुसंगत बिल / दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में आयकर विभाग की जॉच पूर्ण हो चुकी है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किए जाने की याचना की गई है।

अवधार्य प्रश्न यह है कि :-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि और अभिलेख के पूरे होने से अपास्त किए जाने योग्य है ?

- 4— पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अभिभाषक ने तर्क किया है कि वर्तमान में आयकर विभाग द्वारा जप्तशुदा जेवरात के संबंध जॉच रिपोर्ट दिनांक 27.04.2018 को अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जा चुकी है तथा उक्त जप्तशुदा जेवरात सुपुर्दनामा पर दिए जाने में आयकर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त कर न्यायोचित आदेश पारित किए हेतु निवेदन किया है।
- 5— गैरपुनरीक्षणकर्ता / शासन द्वारा उक्त याचिका का फार्मल विरोध किया गया है।
- 6— अधिनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के सूक्ष्म परीक्षण से पाया जाता है कि वर्तमान में आयकर विभाग द्वारा दिनांक 27.04.2018 को जप्तशुदा संपत्ति के संबंध सुसंगत आयकर जॉच रिपोर्ट फाईल कर यह मत व्यक्त किया

गया है कि जप्तशुदा माल Stock in trade है। अतः उक्त वस्तु आयकर अधिनियम की धारा 132(i)(iii) के अंतर्गत जप्त (Seize) किया जाना आवश्यक नहीं है। सुपुर्दगी याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के समक्ष जप्तशुदा संपत्ति/जेवरात के संबंध, अपने स्वामित्व के संबंध आक्षेपित दस्तावेज भी प्रस्तुत किया गया है जिसके परीक्षण उपरांत निष्कर्ष यह है कि पुनरीक्षणकर्ता/सुपुर्दगीकर्ता जप्तशुदा जेवरात का वैध धारक है एवं स्वामी (Owner) होना प्रतीत होता है।

- 7— अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.2018 वर्तमान में संशोधन योग्य पाया जाता है एवं संशोधित किया जाता है तथा यह आदेशित किया जाता है कि :—
- 1— आवेदक / सुपुर्ददार जप्तशुदा जैवरात के संबंध में 2,00,00000 / (दो करोड़) रूपए का सक्षम सुपुर्दनामा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष इस शर्त के साथ प्रस्तुत करे कि जप्तशुदा वस्तु / जेवरात के स्वरूप में कोई मटेरियल परिवर्तन नहीं करेगा।
- 2— आवेदक / सुपुर्ददार जप्तशुदा जेवरात का कलर फोटोग्राफ न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत करेगा तथा विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्देश दिए जाने पर अंतिम निराकरण के स्टेज पर प्रस्तुत करेगा। उक्त निर्देश के साथ यह सुपुर्दनामा याचिका निराकृत की जाती है।
- 8— आदेश की एक प्रति विद्वान विचारण न्यायालय के अभिलेख के साथ संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित की जावे।
- 9— पुनरीक्षण पंजी से निरस्त हो, नतीजा पंजी में दर्ज हो, अभिलेख, अभिलेखागार में जमा हो।

आदेश हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में पारित किया गया।

दिनांक: 08 मई 2018

नेरे बोलने पर मुद्रित किया गया।

सही / – (वाचस्पति मिश्र) प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर